छत्तीसगढ़ शासन

डॉ. रमन सिंह
मान. मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़

श्री पुन्नूलाल मोहले
मान. मंत्री,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016-17

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है।

साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय/निगम/आयोग की जानकारी संकलित की गई है। यह उनके अनुरोध पर किया गया है।

अपर मुख्य सचिव
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

1.	विभाग का नाम	:	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
2.	प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री पुन्नूलाल मोहले

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

अपर मुख्य सचिव	:	श्री एन.के. असवाल
सचिव	:	श्री आशीष कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव	:	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी
अवर सचिव	:	श्री एन.आर. रात्रे

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्री अमिताभ पांडा

आयोग में पदस्थ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग	:	अध्यक्ष- मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष- श्री सुनिल कुमार सदस्य सचिव - श्री अमिताभ पांडा

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी

अपर मुख्य सचिव	:	श्री एन.के. असवाल
उप सचिव	:	श्री जी.आर. मालवीय

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

आयुक्त सह संचालक 20 सूत्रीय कार्यक्रम	:	श्री अमिताभ पांडा

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्यस्तरीय समीक्षा समिति
में पदस्थ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष

राज्य स्तरीय समीक्षा समिति	:	अध्यक्ष- मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष- श्री खूबचंद पारख

विषय-सूची

क्र.	विभाग	संचालनालय / आयोग	पृष्ठ संख्या
1.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	1—11
		2. राज्य योजना आयोग	12—24
2.	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन	1. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	25—28

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन,नया रायपुर

भाग–एक

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजार्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 27 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है। संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु 09 संभाग है।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है। राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1. सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :–

(अ) कारखाना अधिनियम, 1948

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(द) छत्तीसगढ. राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(ई) सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श कार्यालय, महारजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं योजना आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता है ।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविदों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 <u>प्रमुख गतिविधियाँ</u>

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ. का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जलसंसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जात है ।

2.2 राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष **राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान** (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है। इन अनुमानों को राज्यीय आय अध्ययन के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल कर प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में पटल पर रखा जाता है ।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का **आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण** भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है। संचालनालय द्वारा वर्ष 2016–17 की अवधि में राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण 2013–14 (लेखा) 2014–15 (पु.अ.) एवं 2015–16 (आ.अ.) नामक प्रकाशन तैयार किया गया।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 73 वें दौर में **''असंगठित क्षेत्र में गै। कृषि उद्यमों का सर्वेक्षण''** विषय पर कुल आबंटित 768 प्रतिदर्शों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय जुलाई 2015 से जून 2016 की अवधि में पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में 73 वें दौर हेतु प्रथम एवं द्वितीय उपदौर के लिए आबंटित उद्यमों का डाटा एण्ट्री कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा तृतीय एवं चतुर्थ उपदौर हेतु डाटा एण्ट्री का कार्य जारी है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 74 वें दौर में ''सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण'' विषय पर जुलाई 2016 से जून 2017 तक सर्वे कार्य किया जाना है। इस दौर को 2 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में ई.सी. फ्रेम क 1210 उद्यमों के भौतिक सत्यापन का कार्य सितंबर 2016 तक पूर्ण किया गया।

पुनः द्वितीय चरण (अक्टूबर 16 से जून 2017) के अंतर्गत एम.सी.ए.फ्रेम क 1410 तथा ई.सी. फ्रेम के 627 उद्यमों से विस्तृत अनुसूची 2.35 में डाटा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

2.5 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य

राज्य में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कार्य भारत सरकार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969 एवं छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रावधानों के तहत् किया जाता हैं।

प्रशासनिक संरचना

उक्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नांकित पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है :–

क्षेत्र	जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
ग्रामीण	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	मुख्य कार्य. अधिकारी, जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव
नगरीय	–तदैव–	–	नगर पालिक निगम/ नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्टि अधिकारी
संस्थागत	–तदैव–	–	1.समस्त शास. अस्पतालों के प्रभारी अधिकारी 2.राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों के प्रभारी अधिकारी

जन्म–मृत्यु का पंजीयन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार की गई है :–

पदनाम	धारित पद	अधिकारिता
संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संयुक्त संचालक (जीवनांक)	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
उप संचालक (जीवनांक)	उप मुख्य रजिस्ट्रार	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
सहायक संचालक (जीवनांक)	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार	उनके राजस्व के भीतर
कलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार	उनके राजस्व जिले के भीतर
मुख्य कार्य. अधि. जिला पंचा.	सहा. अति. मुख्य रजिस्ट्रार	उनके राजस्व जिले के भीतर
मुख्य कार्य. अधि.जनपद पंचा.	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार	उनके जनपद पंचा. के भीतर
आयुक्त, नगर पालिका निगम	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार	उनके निकाय के भीतर

जन्म – मृत्यु पंजीयन

छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण को एक अभियान के रूप मे लिया गया है। जन्म एवं मृत्यु पंजीयन स्तर में वृद्धि एवं सरलीकृत करने के

उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये गए :–

1. राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों को पंजीयन इकाई बनाया गया है।

2. विलंबित पंजीयन शुल्क को आगामी पांच वर्ष तक 1 रूपया किया गया, जिसका वहन भी राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। अर्थात् जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क किया गया है।

3. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन कराने हेतु जन जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया, साथ ही मैदानी कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया गया, एवं उनके कार्यो का सघन निरीक्षण किया गया।

4. विलंबित पंजीयन को सरल करने हेतु आवश्यक शपथ पत्र (नोटरी) के स्थान पर स्व–प्रमाणित शपथ पत्र को मान्य किया गया है। जिसे एन.ए.एम./एम.पी.डब्ल्यू/स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाता है।

5. उपरोक्तानुसार किए गए प्रयासों के फलस्वरूप निम्नानुसार उपब्धियॉ रहीः–

   1. जन्म पंजीयन का स्तर–वर्ष 2013–81.7%, 2014–132%,एवं 2015–102%
   2. मृत्यु पंजीयन का स्तर–वर्ष 2013–70.9%, 2014–86.74% एवं 2015–86.%

   साथ ही वर्ष 2016 के अब तक की रिपोर्ट के अनुसार जन्म पंजीयन 110 प्रति. एवं मृत्यु पंजीयन 90 प्रति. होना आंकलित किया गया है (27 जन. 2017)

6. राज्य में होने वाले संस्थागत एवं गैर संस्थागत मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र का वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम औद्योगिक श्रमिको के परिवारिक आय–व्ययों का सर्वेक्षण भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, श्रम ब्यूरो, के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ राज्य के तीन जिलों में संचालित किया जा रहा है। इन जिलों के चयनित बाजार निम्नानुसार हैः–

जिला रायपुर	1 गोल बाजार	2 बीरगांव	
जिला कोरबा	1 निहारिका	2 कोसाबाड़ी	3 ट्रांसपोर्ट नगर
जिला दुर्ग (भिलाई)	1 आकाशगंगा	2 केम्प–2	

2.7 वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2016–17 में प्रकाशित प्रकाशन

(1) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण –2016–17 (मार्च 2017 में प्रस्तावित)

(2) छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004–2005 से 2015–16(A)

(3) छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप 2014–15।

(4) Report on Sixth Economics Census 2012-13

(5) छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 2015।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उददे्श्यवार वर्गीकरण 2013–14 (लेखा), 2014–15 (पु.अ.) एवं 2015–16 (आ.अ.)

(7) छत्तीसगढ़ कृषि संगणना 2011

(8) Socio Economic Indicators, (March, 2017)

(9) Annual Report on the functioning of the RBD Act 1969 Chhattisgarh 2015

(10) Man & Woman in Chhattisgarh (March, 2017)

(11) Vital Statistics Review on Registration of Birth and Death 2012-15 (March, 2017)

इसके अतिरिक्त

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका Online एवं जनपदीय सामाजिार्थिक समंक Online संकलन के कार्य प्रगति पर है।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत 16 वीं लोकसभा हेतु (लोकसभा, एवं राज्यसभा) 31 दिसंबर 2016 की स्थिति में कुल राशि 251.00 करोड़ रू. भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू 170.57 करोड़ की लागत से 5915 कार्य स्वीकृत किये गये है।

(ग) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से रू. 1.00 करोड़ का प्रावधान है जिसमें प्रत्येक मान. विधायक द्वारा राशि रू. 75 लाख एवं मान. प्रभारी मन्त्री द्वारा 25.00 लाख के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अनुशंसा कर सकते है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु राशि रू. 91.00 करोड़ के विरूद्ध 37.27 करोड़ की लागत से 1479 कार्य स्वीकृत किये गये है (31 दिसंबर 2016 की स्थिति में) ।

(ङ) प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अधीनस्थ जिला कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया गया।

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	अवधि	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	संख्या
1	प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण	05 दिवस	भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर	29 अधि.
2	Price Statistics & Index Numbers विषय पर	05 दिवस	राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी नई दिल्ली	04 अधि.
3	Social Statistics विषय पर	05 दिवस		03 अधि.
4.	National Account Statistics विषय पर	05 दिवस		02 अधि.
5	Demography and Population Studies विषय पर	05 दिवस		03 अधि.
6	Sample methods and Techniq ues विषय पर	05 दिवस		03 अधि.
7	वेतन निर्धारण अवकाश नियम एवं नगदीकरण विषय पर	03 दिवस	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03 अधि./कर्म.
8	Motivation of govt. servant & improving their behavioural skills	05 दिवस		01 अधि./कर्म.
9	Store Purchase rules & tender process	06 दिवस		06 अधि./कर्म.
10	पेशन एवं नवीन अंशदायी पेशन योजना तथा सेवानिवृत्त परिलाभ	03 दिवस		03 अधि./कर्म.
11	Computer training for modern office management and e-kosh online bill submission	26 दिवस		08 अधि./कर्म.
12	Office Proecdure and Financial Management	03 दिवस		03 अधि./कर्म.
13	Issue in good govrnance and time bound delivery of service	03 दिवस		03 अधि./कर्म.
14	छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1966 गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	03 दिवस		03 अधि./कर्म.
15	बजट प्रक्रिया एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी	05 दिवस		03 अधि./कर्म.
16	आंतरिक लेखा परीक्षण अंकेक्षण एवं उसका पालन प्रतिवेदन	06 दिवस		06 अधि./कर्म.

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन :–

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2016–17 में सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नानुसार आवंटन प्राप्त हुआ है ।

बजट मद विवरण	वर्ष 2016–17 वास्तविक व्यय (दिसंबर 2016)	वर्ष 2016–17 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
आयोजनेत्तर		
1 जन्म–मृत्यु आंकड़ों का संकलन–1430	12871	22870
2. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण –0512	7152	12515
3. राज्य सांख्यिकी संस्थान–8048	130639	204231
योग	**150662**	**239616**
1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन–2987	**10257**	**18664**

भाग–तीन

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नवत राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ संचालित की जा रही है ।

योजना विवरण	वर्ष 2016–17 वास्तविक व्यय (दिसंबर 2016)	वर्ष 2016–17 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
राज्य–आयोजना		
6562 जन्म–मृत्यु अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन	840	2710
6564 सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	163	480
6293 सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	62	340
केन्द्र प्रवर्तित योजना		
5501 जन्म–मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1106	3770
केन्द्र क्षेत्रीय योजना		
7604 भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	2944	5096
योग	**1515**	**12396**

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय
निरंक

भाग–पांच

अभिनव योजनाएँ
निरंक

भाग–छः

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष–2016–17

विभागीय जानकारी के अधार पर ''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17'' तैयार किया जा रहा है। जो कि विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है ।

2. आय व्ययक संक्षेप, वर्ष–2016–17

प्रकाशित प्रकाशन में राज्य शासन द्वारा आलोच्य अवधि के लिये प्रस्तावित आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय तथा उसके सापेक्ष में अनुमानित आय का विवरण तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया, विभाग द्वारा इस प्रकाशन को वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में वितरित किया गया ।

3. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2015–16(अ.)

इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान–सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल–प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप, वर्ष–2014–15

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया है। राज्य/जिलों के संदर्भ में वर्ष 2013–14, से 2014–15 तक की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

5. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में, वर्ष– 2015

इस प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि, ग्रामीण विकास, जल, परिवहन, पर्यावरण एवं सामाजिक अवयवों से संबंधित प्रमुख संकेतांको के आधार पर ऑकड़े प्रस्तुत किये गये हैं जिससे राज्य की विकास अवधारणा का प्रबोधन किया जा सके ।

6. राज्य बजट का आर्थिक एवं उद्देश्वार वर्गीकरण–वर्ष 2013–14 (लेखा), 2014–15 (पु.अ.) एवं 2015–16 (आ.अ.)

प्रस्तुत प्रकाशन में राज्य बजट का आर्थिक एवं उद्देश्य के अनुसार किये गये वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष्य परिव्यय का उल्लेख किया जाता है ।

भाग–सात

परिशिष्ट –एक

सारांश — निरंक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी

(01–01–2017 की स्थिति में)

क्र.	श्रेणी एवं पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
	प्रथम श्रेणी						
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	1	1	0	1
2	अपर संचालक	1	0	1	1	0	1
3	संयुक्त संचालक	3	0	3	1	0	1
4	उपसंचालक	3	27	30	4	12	16
	द्वितीय श्रेणी						
5	सहायक संचालक (योजना/सांख्यिकी)	13	54	67	6	31	37
	तृतीय श्रेणी						
6	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	122	158	29	93	122
7	सहायक प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0
8	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	179	16	65	74
9	संगणक (डाटा एन्ट्री आपरेटर)	6	54	60	06	31	37
10	अधीक्षक	01	0	01	1	0	1
11	आशुलिपिक ग्रेड–2	01	0	01	0	0	0
12	आशुलिपिक ग्रेड–3	01	0	01	1	0	1
13	स्टेनोटायपिस्ट	04	18	22	0	0	0
14	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	0	01	1	0	1
15	के.पी.ओ.	02	0	2	0	0	0
16	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	01	0	01	0	0	0
17	सहायक ग्रेड–1	04	07	11	2	3	5
18	सहायक ग्रेड–2	05	27	32	1	12	13
19	सहायक ग्रेड–3	20	61	81	05	14	19
20	वाहन चालक	5	7	12	01	5	06
21	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि)	3	20	23	03	10	13
	चतुर्थ श्रेणी						
22	जमादार	1	0	01	01	0	01
23	भृत्य	15	61	76	5	28	33
24	चौकीदार	02	0	2	02	0	02
25	वाहन चालक कलेक्टर दर (नियमित स्वीकृत पद के विरूद्ध)				3	0	3
25A	स्वीपर/फर्राश/वाटरमेन, (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)	05	36	41	04	24	28
	योग	**149**	**659**	**808**	**93**	**332**	**425**

भाग–सात

राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। फलस्वरूप इसकी भूमिका में बदलाव आ गया है। वर्तमान में नीति आयोग को Think Tank संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से सलाहकार की भूमिका में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और आयोजन का सम्पूर्ण दायित्व राज्यों पर होगा। इस बदली हुई परिस्थिति में राज्य स्तर पर राज्य योजना आयोग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राज्य के सीमित संसाधन एवं स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप योजना बनाने के दायित्व आयोग पर होगा। परिवर्तित स्थिति में राज्य योजना आयोग के दायित्व में विस्तार होने के कारण नवीन प्रस्तावित कार्य क्षेत्र निम्नांनुसार है :–

1. राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों (भौतिक, वित्तीय एवं जन शक्ति) का अनुमान लगाना तथा राज्य के समावेशी विकास में इसके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में सुझाव देना,
2. राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक कारणों को इंगित करना, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उसका समाधान ढूढ़ना तथा उपयुक्त सुझाव प्रदान करना,
3. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय तथा सामाजित असंतुलन को दूर करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का सुझाव देना,
4. राज्य की दीर्घ अवधि एवं वार्षिक योजना बनाना तथा समयानुसार नियोजन के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना,
5. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गठित विभागों के विभागीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना के निर्माण में सहयोग प्रदान करना,
6. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुर्नावलोकन करना तथा नीतियों और उपयोग में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करना जो जरूरी हो,
7. विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन को गति देते हुए ग्राम स्तर से सूक्ष्म नियोजन करने के लिए जिलों का क्षमता विकास एवं क्रियान्वयन के लिए सहयोग करना,

8. कार्यों के उचित संपादन के लिए टॉस्क फोर्स, कार्यकारी समूह/आर्थिक एवं शोध संस्थाओं/सलाहकारों के माध्यम से ऐसे अध्ययन, सर्वेक्षण एवं शोध जैसा भी आवश्यक हो करवाना,

9. नियोजन एवं विकास की प्रणाली में आवश्यक संशोधन इंगित करना, तथा

10. ऐसे अन्य कार्य, जो राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द किये जायें। राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अमले की जानकारी परिशिष्ठ–1 में दर्शाई गई है।

(अ) आयोग की गतिविधियां

1. टास्क फोर्स का गठन

पुर्नगठित राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ की दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नांकित चार टास्क फोर्सेस् का गठन किया गया।

(i) गरीबी उन्मूलन

(ii) कृषि, पर्यावरण, वानिकी एवं संबंध क्षेत्रों का विकास

(iii) उद्योग, कौशल विकास, तकनीक एवं उच्च शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्रों का विकास

(iv) सामाजिक क्षेत्र का विकास

उपरोक्तानुसार गठित टास्क फोर्स के सदस्यों से प्राप्त सुझावों/अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2. राष्ट्रीय कॉन्कलेव का आयोजन

राज्य योजना आयोग की बदलती भूमिका पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय कान्क्लेव (बैठक) का आयोजन दिनांक 22 नवम्बर, 2016 को राज्य योजना आयोग के नवनिर्मित योजना भवन, नया रायपुर में आयोजित किया गया। कान्क्लेव का मुख्य उद्देश्य नीति आयोग की भूमिका एवं कार्य और राज्य परिपेक्ष्य में राज्य योजना संगठनों की भूमिका एवं कार्य पर विस्तृत चर्चा की गई। जमीनी स्तर पर योजना बनाने के लिए नीति आयोग की भूमिका एवं कार्य के अंतर्गत सहभागी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय, राज्य में नीति सुधार की सुविधा, केन्द्र सरकार पर नीति आयोग की भूमिका तथा थिंक टैंक समारोह का आयोजन करना चर्चा के मुख्य विषय थे। राज्य परिपेक्ष्य में चर्चा का मुख्य विषय – क्षेत्रों की अद्वितीयता, वित्त पोषण के लिए जनसंख्या मानदंड, कनेक्टिविटी के माध्यम से समावेशी विकास तथा राज्य में निष्पादन जिम्मेदारियॉ इत्यादि।

3. राज्य के विकास में शैक्षाणिक संस्थाओं का सहयोग

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के पुर्नगठन के पश्चात् लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य के विकास हेतु नीति निर्धारण के लिये आवश्यक शोध तथा योजनाओ के मूल्यांकन आदि के लिये प्रदेश की उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

4. युवा नीति तैयार करना

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश की युवा नीति (Youth Policy) तैयार की जा रही है। युवा दृष्टि तथा नीति तैयार किये जाने हेतु प्रदेश के विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों के युवाओं से विचार जानने हेतु 'चिप्स' के सहयोग से युवा वेब पोर्टल तथा युवा दृष्टि अभियान के रूप में विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। अभियान को संचालित करने तथा वेब पोर्टल में जानकारी प्रदान करने के लिये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसके अंतर्गत शैक्षाणिक संस्थाओं, ग्रामीण, नगरीय एवं शहरी सभी क्षेत्रों के युवाओं के विचार प्राप्त किये गये हैं। युवाओं से प्राप्त सुझाव अनुसार युवा नीति तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

5. भारत सरकार, UNDP सहायता प्राप्त विकेन्द्रीकृत योजना हेतु क्षमता संवर्धन परियोजना का संचालन

विकेन्द्रीकृत योजना को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भारत सरकार– UNDP की परियोजना–**''विकेन्द्रीकृत योजना हेतु क्षमता संवर्धन''** (Strengthening Capacities for Decentralized Planning-SCDP) का क्रियान्वयन राज्य योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है। परियोजना वर्ष 2013 से चालू है और वर्ष 2017 तक चलेगी। योजना में तीन प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और उड़ीसा सम्मिलित है। प्रदेश में यह परियोजना कांकेर, दुर्ग एवं जांजगीर चांपा में संचालित है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 में निम्नांकित कार्यों का संपादन किया गया –

(i) DPC के सदस्यों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन

(ii) जेण्डर एकीकृत विकेन्द्रीकृत जिला योजना प्रशिक्षण

(iii) सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हेतु क्षमता संवर्धन

राज्य द्वारा संचालित पाँच योजनाओं NRDWP, SBM-G, MDM, NSAP एवं TPDS के सामाजिक अंकेक्षण हेतु परियोजना के संचालन वाले जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

6. नेशनल फांउडेशन फॉर इंडिया

छत्तीसगढ़ शासन एवं नेशनल फांउडेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली के संयुक्त साझेदारी से सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संबंधी योजना लागू की गई है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. राज्य नियोजन प्रक्रिया में सतत् विकास लक्ष्यों का समेकन एवं एकीकरण।

2. राज्य की नीतियों, कार्यक्रमों एवं सतत् विकास लक्ष्यों के मध्य तालमेल एवं ओवरलैप क्षेत्रों की पहचान।

3. सतत् विकास लक्ष्यों पर जानकारी एवं उन्मुखीकरण हेतु अधिकारियों के लिए क्षमता वृद्धि एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

4. पंचायती राज संस्थाओं का सतत् विकास लक्ष्यों पर उन्मुखीकरण एवं स्थानीय निकायों के मुद्दों में एस.डी.जी. शामिल करना।

5. सतत् विकास लक्ष्यों को आम नागरिकों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार–प्रसार समाग्री तैयार करना।

(ब) योजनाएँ

1. पंचवर्षीय योजना

केन्द्रीय योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा लक्षित विकास संकेतांकों के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लक्ष्य एवं उपलब्धि तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) की अद्यतन स्थिति निम्नांनुसार है :–

लक्षित सामाजिक संकेतक

क.	विकास संकेतक	इकाई	11वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व की स्थिति	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) की अद्यतन स्थिति		12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लक्ष्य	अद्यतन स्थिति	
				लक्ष्य	उपलब्धि (वर्ष 2011–12)		वर्ष	संकेतांक
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	गरीबी में कमी (स्तर)	प्रतिशत	40.8*	26.2	39.9 PC,GOI)	25	2011-12 PC, GoI	39.93
2.	शिशु मृत्यु दर (IMR)	प्रति हजार जीवित जन्म पर	61*	30	48 (SRS-2011)	28	2015 SRS	41
3.	मातृ मृत्यु दर (MMR)	प्रति लाख जीवित जन्म पर	335*	126	230 (SRS2010-12)	150.7	2011-13 MHFW	221
4.	सकल प्रजनन दर (TFR) (महिला 15–49 वर्ष)	प्रति महिला	3.3 (SRS-2006)	2.4	2.7 (MHFW-2011)	2	2015-16 MFHS-4	2.2
5.	कुपोषण (Underweight) (0 – 3 वर्ष के बच्चों में)	प्रतिशत	52.1*	26.1	40.87 (CGWCD 2012) (0–5 वर्ष)	30.06	2015-16 MFHS-4	37.7
6.	रक्ताल्पता (महिला 15–49वर्ष)	प्रतिशत	57.5*	28.8	57.6 (NFHSIII-2005-06)	28	2015-16 MFHS-4	47.0

क्र.	विकास संकेतक	इकाई	11वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व की स्थिति	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) की अद्यतन स्थिति		12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लक्ष्य	अद्यतन स्थिति	
				लक्ष्य	उपलब्धि (वर्ष 2011–12)		वर्ष	संकेतांक
1	2		3	4	5	6	7	8
7.	लिंगानुपात	प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएं	989 (Census 2001)	999	991 (Census 2011)	999	2015-16 MFHS-4	1019
	लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष के बच्चों में)	प्रति हजार बालक	-	-	969 (Census 2011	999	Census 2011	969
8.	शाला त्यागी दर 1. प्रायमरी 2. अपर प्रायमरी	प्रतिशत	46.81*	10	- 3.14 (PS) 3.68 (UPS) (DISE 2011-12)	0	2013-14 DISE	1.42 3.80
9.	साक्षरता दर	प्रतिशत	64.66*	86.16	70.3 (Census 2011)	90	2011 Census	70.3
	महिला पुरूष साक्षरता अंतर	प्रतिशत	25.33*	15.6	20.03 (Census 2011)	12	2011 Census	20.03

स्रोत – * छ.ग. आर्थिक सवेक्षण 2012–13 एवं 2014–15

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लक्षित विकास वृद्धि दर

क्षेत्र	इकाई	11वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व की स्थिति	11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	11वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्धियॉं (2011–12)	12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	12वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि (2016–17)
कृषि	प्रतिशत	9.10	1.7	6.46	6.0	5.87
उद्योग	प्रतिशत	14.70	12.0	6.22	7.5	6.11
सेवा	प्रतिशत	6.80	8.0	9.80	9.5	9.90
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)		9.30	8.6	7.35	8.0	7.40

स्रोत – छ.ग. आर्थिक सवेक्षण 2012–13 एवं 2014–15

12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश सरकार द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में तथा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कई नवीन योजनाएं प्रांरभ कर परिव्यय में आवश्यकतानुरुप वृद्धि की गई । इससे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का एक ओर उत्पादन बढा और दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हए। साथ ही लोंगों को रियायती दर पर खाद्यान भी उपलब्ध कराया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना के काल में गरीबी में कमी आई है। चालू की गई योजनाओं के परिणाम आगामी कुछ वर्षों में आने लगेंगे तथा इस दिशा में नई नीतियों के निर्माण से निश्चित रूप से गरीबी में कमी आयेगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर 48 और मातृ मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्म पर 230 था । 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सेवाओं में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप इसके संकेतांकों में कमी आई है। इस अवधि में शिशु मृत्युदर 41 और मातृ मृत्युदर 221 पर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 0–3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत 40.87 था, वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 0–5 वर्ष

के बच्चों का 37.7 हो गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शाला त्यागी दर प्राथमिक स्तर पर 3.14 और अपर प्राथमिक स्तर पर 3.68 थी, वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्तर पर 1.42 तथा अपर प्राथमिक स्तर पर 3.80 है। गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम गुणवत्ता शिक्षा अभियान राज्य में संचालित की गई है, इसके तहत सामाजिक दायित्वों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

विभिन्न विकास संकेतकों के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुल रू. 118852.00 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। प्रथम चार वार्षिकीय आयोजना के अंतर्गत प्रावधानित संशोधित परिव्यय रू. 97117.15 करोड़ के विरूद्ध रू. 80781.13 करोड़ व्यय किया गया है जो 83.18 प्रतिशत है।

पंचवर्षीय योजनाएं– परिव्यय एवं व्यय की स्थिति

(राशि– करोड़ रूपये में)

क्रं.	प्रमुख क्षेत्रक	12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रक्षेपित परिव्यय	वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक संषोधित परिव्यय	वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिषत
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि एवं संबंद्ध संवायें	8283.74	10368.86	8205.41	79.14
2.	ग्रामीण विकास	3668.52	2748.60	3289.90	119.69
3.	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3313.50	3158.88	1618.87	51.25
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11952.26	7012.41	6562.21	93.58
5.	ऊर्जा	7337.03	6578.46	5761.81	87.59
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	1972.32	1377.84	1239.88	89.99
7.	यातायात	13017.31	10419.48	8493.95	81.52
8.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2840.14	2420.61	2057.70	85.01
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	5206.92	1660.35	1462.31	88.07
10.	समाजिक सेवायें	61260.26	50045.54	41428.73	82.78
11.	सामान्य सेवायें	0.00	1326.12	484.69	36.55
	योग	**118852.00**	**97117.15**	**80781.13**	**83.18**

2. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना 2015–16 के संशोधित परिव्यय रू. 28539.33 करोड के विरूद्ध रू. 23350.98 करोड़ का व्यय किया गया, जो कि कुल परिव्यय का 81.82 प्रतिशत है। उद्योग तथा खनिकर्म, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, तथां सामान्य सेवायें हेतु आंबटित राशि का केवल क्रमशः 69.29, 65.10, 54.88, तथा 24.43 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया है। यही कारण है कि योजना का व्यय कुल परिव्यय के विरूद्ध कुछ कम परिलक्षित होता है।

वार्षिक योजनाएं – परिव्यय एवं व्यय की स्थिति

(राशि– करोड़ रूपये में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना 2014–15			वार्षिक योजना 2015–16			वार्षिक योजना 2016–17	
		संशोधित परिव्यय	व्यय	प्रतिशत	संशोधित परिव्यय	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित परिव्यय	क्षेत्रक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	3975.31	3405.35	86.05	1462.93	802.86	54.88	1569.23	4.52
2.	ग्रामीण विकास	461.10	796.54	172.75	508.45	1064.92	209.44	2134.84	6.15
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1086.94	143.97	13.25	335.77	218.57	65.10	561.59	1.62
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1721.62	1511.36	87.79	1735.40	1718.33	99.02	2640.69	7.61
5.	उर्जा	1294.36	1015.88	78.49	3198.46	2535.02	79.26	2651.92	7.64
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	354.85	367.06	103.44	466.94	323.56	69.29	784.06	2.26
7.	यातायात	2841.22	2445.73	86.08	3484.99	2554.83	73.31	4398.27	12.67
8.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	607.17	420.16	69.20	693.15	600.95	86.70	723.79	2.08
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	165.97	58.68	35.36	158.27	134.07	84.71	1196.00	3.45
10.	सामाजिक सेवायें	12784.62	11021.39	86.21	16089.71	13298.86	82.65	17745.14	51.12
11.	सामान्य सेवायें	321.78	45.02	13.99	405.26	99.00	24.43	309.93	0.89
	योग	**25596.94**	**21231.14**	**82.94**	**28539.33**	**23350.98**	**81.82**	**34715.45**	**100.00**

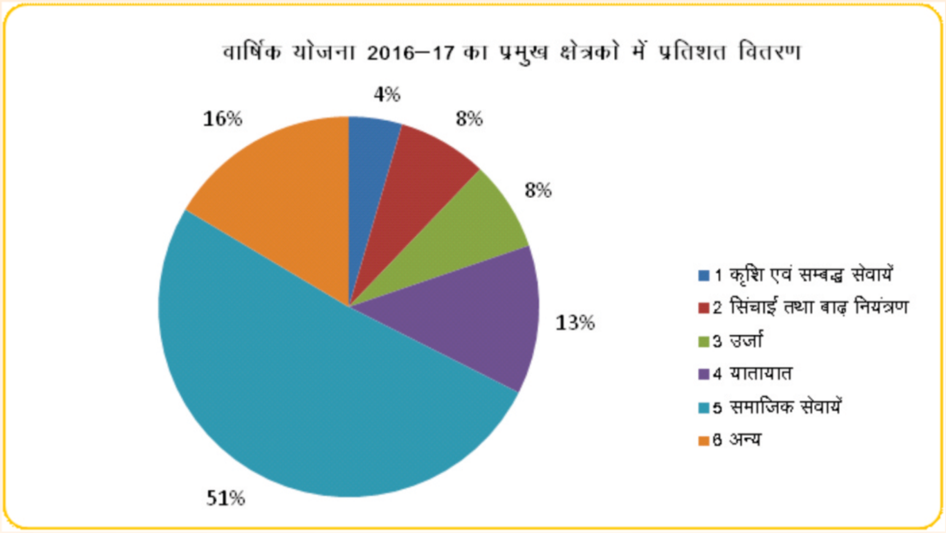

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास हेतु योजना में जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं में राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में योजनाओं में प्रावधान किया जाता है। प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 30.62 तथा अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.82 है। वार्षिक योजना 2016–17 में अनुसूचित जनजाति के लिए (टीएसपी कम्पोनेन्ट) 33.13 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए (एससीएसपी कम्पोनेन्ट) 14.06 प्रतिशत रखा गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

(राशि– करोड़ रूपये में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2016–17		
		अनुमोदित परिव्यय	टीएसपी कम्पोनेन्ट	एससीएसपी कम्पोनेन्ट
1	2	3	4	5
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	1569.23	497.34	160.54
2	ग्रामीण विकास	2134.84	593.79	670.28
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	561.59	261.59	28.05
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2640.69	691.36	388.01
5	उर्जा	2651.92	904.87	417.37
6	उद्योग तथा खनिकर्म	784.06	119.53	85.97
7	यातायात	4398.27	1897.67	580.00
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	723.79	321.40	92.15
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	1195.99	409.09	130.04
10	सामाजिक सेवायें	17745.14	5786.67	2328.46
11	सामान्य सेवायें	309.93	17.04	0
	योग :	**34715.45**	**11500.35**	**4879.87**
	प्रतिशत	-	**33.13**	**14.06**

3. राज्य योजना आयोग का सुदृढीकरण

राज्य योजना आयोग द्वारा बदली हुई परिस्थितियो में राज्य में समसामायिक घटनाओं/ आवश्यकताओं के अनुरूप समावेशी विकास के लिए लघुकृत शोध, योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन उपरांत विभागों को परामर्श के रूप में सेवा प्रदान किया जाता है। शासकीय विभागों और विश्वविद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों और शोधकर्त्ताओं को समसामायिक आलेख तैयार करने के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा अंशकालीन कंसल्टेन्ट के रूप में सेवाएं ली जा रही हैं। इस सेवा से जहॉ एक ओर राज्य मे उपलब्ध विद्ववत्ता कौशल का विकास होगा वहीं दूसरी ओर राज्य योजना आयोग को भी गुणवतापूर्ण अनुसंधान एवं मूल्यांकन के कार्य में सहयोग प्राप्त होगा। श्री अवधेश चंदेल, मान. विधायक, बेमेतरा के प्रस्ताव पर ''विधायक आदर्श ग्राम योजना'' के अंतर्गत ग्राम सूक्ष्म नियोजन ग्राम सोंढ़ जिला बेमेतरा बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। शहरीकरण के इस दौर में आदर्श ग्राम की अवधारणा में स्वच्छ, स्वस्थ, आत्मनिर्भर ग्रामवासी, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत सतत् दोहन, भविष्यमुखी शिक्षा तथा सामाजिक सौहार्द युक्त समाज की स्थापना को शामिल किया जा रहा है।

4. जिला योजना का सुदृढ़ीकरण

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। वर्ष 2017–18 के संदर्भ में सभी जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत योजनाएं जनवरी, 2017 तक प्राप्त किया जाना है।

जिला योजना के संदर्भ में संचालित कार्यक्रम/उपलब्धियॉ

1. राज्य योजना आयोग के द्वारा जिला वार्षिक योजना वर्ष 2017–18 के निर्माण के लिए जिले का स्थिति विश्लेषण निर्धारित सात क्षेत्रकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजिविका, अधोसंरचना, उर्जा प्रबंधन तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिन्दुओं पर प्रारूप तैयार कराया जा रहा है।

2. विकेन्द्रीकृत योजना को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भारत सरकार– UNDP की परियोजना–**''विकेन्द्रीकृत योजना हेतु क्षमता संवर्धन''** (Strengthening Capacities for Decentralized Planning-SCDP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3. वर्ष 2017–18 की जिला वार्षिक योजना तैयार कराने के लिए उप संचालक एवं सहायक संचालक का दिनांक 09 जून, 2016 को राज्यस्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न किया गया।

4. वर्ष 2017–18 की जिला वार्षिक योजना तैयार में स्थिति विश्लेषण की भूमिका पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय बैठक दिनांक 7 दिसम्बर 2016 को योजना भवन, नया रायपुर में आयोजित किया गया।

5. वर्ष 2017–18 के लिए अभी तक 06 जिलों की जिला वार्षिक योजना प्राप्त हुआ है।

भाग –दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2016–17

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2015–16	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2015–16	वर्ष 2015–16 का वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2016–17
1	2	3	4	5	6
1.	**मांग संख्या–31, मुख्य लेखा शीर्ष –3451**				
	3686– राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	350.70 0.20	350.70 0.20	162.35 –	421.59 0.20
	योग	**350.90**	**350.90**	**162.35**	**421.79**
	6725– यूरोपियन कमीशन	70.35	70.35	0.00	0.00
	योग	**70.35**	**70.35**	**0.00**	**0.00**
	7639– राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान	100.00	100.00	9.43	150.00
	योग	**100.00**	**100.00**	**9.43**	**150.00**
2.	**मांग संख्या–60 मुख्य लेखा शीर्ष – 3451**				
	7282– जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	74.00	74.00	33.00	74.00
	योग	**74.00**	**74.00**	**33.00**	**74.00**

भाग –सात

सारांश :–

राज्य योजना आयोग की बदली हुई भूमिका के अनुसार राज्य के विकास हेतु नीति निर्धारण हेतु आवश्यक शोध तथा योजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश की उच्च शैक्षणिक संस्थानों से सहयोग लिया जा रहा है। युवाओं के सुझाव अनुरूप युवा नीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। छत्तीसगढ़ शासन एवं नेशनल फांउडेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली के संयुक्त साझेदारी से सतत विकास लक्ष्य (SDG) को प्राप्त करने आयोग प्रयासरत है।

परिशिष्ट–एक (1)

राज्य योजना आयोग में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदस्य सचिव	प्रथम	37400–67000	10000	1	1	0	–
2	सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	–
3	अंशकालीन सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	–
4	सलाहकार	प्रथम	37400–67000	8700	4	0	4	–
5	उप सचिव	प्रथम	15600–39100	7600	1	1	0	–
6	संयुक्त संचालक	प्रथम	15600–39100	7600	2	2	0	–
7	संयुक्त संचालक (वित्त)	प्रथम	15600–39100	7600	1	1	0	–
8	अवर सचिव	प्रथम	15600–39100	6600	1	0	1	–
9	शोध अधिकारी	प्रथम	15600–39100	6600	4	0	4	–
10	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय	15600–39100	5400	4	0	4	–
11	सहायक संचालक	द्वितीय	15600–39100	5400	2	1	1	–
12	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	द्वितीय	9300–34800	4400	1	1	0	–
13	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	9300–34800	4200	1	0	1	–
14	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	9300–34800	4300	4	3	1	–
15	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय	9300–34800	4300	1	0	1	–
16	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय	9300–34800	4300	2	1	1	–
17	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200	2800	2	1	1	–
18	सहायक ग्रेड–1	तृतीय	5200–20200	2800	1	1	0	–
19	अन्वेषक	तृतीय	5200–20200	2800	4	2	2	–
20	वरिष्ठ लेखापाल	तृतीय	5200–20200	2800	1	1	0	–
21	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय	5200–20200	2400	1	0	1	–
22	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	5200–20200	2400	2	1	1	–
23	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	5200–20200	2400	6	4	2	–
24	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200	1900	4	1	3	–
25	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय	5200–20200	1900	1	1	0	
26	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ	4750–7440	1400	4	4	0	
27	दफ्तरी	चतुर्थ	4750–7440	1400	1	0	1	
28	भृत्य	चतुर्थ	4750–7440	1300	11	6	5	
29	चौकीदार	चतुर्थ	कलेक्टर दर		2	0	2	
30	वाटरमेन	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	
31	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	
	योग				73	35	38	

उपाध्यक्ष स्थापना हेतु								
क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपाध्यक्ष	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	—
2	विशेष सहायक	प्रथम	15600—39100	6600	1	0	1	—
3	निज सचिव	द्वितीय	9300—34800	4400	1	0	1	—
4	निज सहायक	द्वितीय	9300—34800	4300	1	0	1	—
5	सहायक ग्रेड—2	तृतीय	5200—20200	2400	1	0	1	—
6	वाहन चालक	तृतीय	5200—20200	1900	2	0	2	
7	भृत्य	चतुर्थ	4750—7440	1300	3	2	1	
	योग				**10**	**3**	**7**	
	महायोग				**83**	**38**	**45**	

बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग–एक

सामान्य जानकारी एवं विभागीय संरचना

संचालनालय द्वारा इन कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है, बल्कि कार्यक्रम से संबधित विभागों द्वारा ही योजनाएं संचालित की जाती है। वर्तमान में मात्र संबंधित योजनाओं की प्रगति विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त कर केन्द्र शासन को संप्रेषित की जाती है । केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है । संचालनालय स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु पदों की संरचना स्वीकृति नहीं है, बल्कि संचालनालय के लिए स्वीकृत अमले से ही इसे अतिरिक्त कार्य के रूप में किया जाता है।

अधीनस्थ कार्यालय

कार्यक्रम के प्रारंभ से (वर्ष 1975) में प्रत्येक जिला/विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक ग्रेड–2 व सहायक ग्रेड–03 का एक–एक पद स्वीकृत किया गया था जो आज भी उपलब्ध है ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

प्रभावी अधिनियम एवं नियम

1. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1980
2. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1997

3. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1991

4. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को संप्रेषित किया जाता है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं – (राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है।

भाग–दो

कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016–17 में 18664.00 हजार रूपये का आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष में 27 जनवरी, 2017 तक 56.39 प्रतिशत राशि व्यय हुआ है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :–

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है

1. रोजगार सृजन–महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।
   (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ।

(ख) एसजीएसवाई के अंतर्गत अ.जा. अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता।

2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।

(ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हों आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई है ।

3. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण।

(ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि।

4. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं

(iii) सुधारी गई अनियमितताएं ।

(ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे

(ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस

(iii) निर्णीत अभियोजन केस

5. (क) खाद्य सुरक्षा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एएवाई, एपीएल और बीपीएल के लिए

(ख) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)

(ग) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

(घ) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

7. ग्रामीण आवास –इंदिरा आवास योजना

8. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,

9. (क) ग्रामीण क्षेत्र–एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)

(ख) छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत

10 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,

11. संस्थानिक प्रसव,

12. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)

14. क्रियाशील आंगनबाड़िया (संचयी)

15. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

16 (क) वनरोपण – रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

(ख) वनरोपण – रोपित पौधे (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

17. ग्रामीण सड़कें – पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के

18. राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई ।

19. पम्पसेटों को बिजली

20. विद्युत आपूर्ति

वर्ष 2016–17 में जनवरी 2017 तक बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा बैठक (राज्य स्तर पर–01 एवं जिला स्तर पर–09) आयोजित की गई है ।

कोरिया
सुरजपुर
बलरामपुर
सरगुजा
जशपुर
कोरबा
मुंगेली
कबीरधाम
बिलासपुर
रायगढ
जांजगीर-चांपा
बेमेतरा
बलौदाबाजार
दुर्ग
रायपुर
राजनांदगांव
महासमुंद
बालोद
गरियाबंद
धमतरी
कांकेर
कोंडागांव
नारायणपुर
बस्तर
बीजापुर
दंतेवाड़ा
सुकमा

छत्तीसगढ़